लोक सभा
वस्त्र मंत्रालय
अतारांकित प्रश्न संख्या 281
दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

"हस्तशिल्प कारीगरों को पहचान पत्र"

281. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) योजना की शुरुआत से लेकर अब तक हरियाणा राज्य, विशेषकर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में हस्तशिल्प कारीगरों को जारी किए गए पहचान पत्रों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना आदि के अंतर्गत पहचान पत्र धारकों को प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हरियाणा राज्य, विशेषकर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में उक्त योजनाओं और मंत्रालय की अन्य योजनाओं से लाभान्वित हस्तशिल्प कारीगरों का राज्यवार/जिलावार और योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत वर्ष के दौरान उक्त योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया और चालू वर्ष के दौरान योजना-वार कितनी राशि खर्च की गई?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क): देश में हरियाणा राज्य विशेषकर सोनीपत में पहचान पहल के तहत पंजीकृत कारीगरों की कुल संख्या का जिलावार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर है।

(ख): वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय देश भर के हस्तशिल्प क्षेत्र के समग्र विकास और संवर्धन के लिए दो योजनाएं नामशः राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) कार्यान्वित करता है। इन योजनाओं के तहत, विपणन कार्यक्रमों, कौशल विकास, कलस्टर विकास, उत्पादक कंपनियों के गठन, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं प्रौद्योगिकी सहायता और अनुसंधान एवं विकास समर्थन आदि के माध्यम से पहचान कार्ड सहित कारीगरों को शुरु से अंत तक सहयोग हेतु आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान की जाती है जिससे देशभर के पारंपरिक शिल्प और कारीगर लाभान्वित होते हैं।

(ग): विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय कलस्टर कारीगरों को सहायता प्रदान करता है और लाभार्थियों का जिला-वार ब्यौरा नहीं रखता है। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की योजनाएं आवश्यकता आधारित हैं और राज्य से राज्य पर निर्भर करती हैं। तथापि, गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हरियाणा राज्य में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की योजनाओं और समर्थ योजना, वस्त्र मंत्रालय से लाभान्वित हस्तशिल्प कारीगरों की कुल संख्या निम्नानुसार हैः

क्रं.सं.	हरियाणा राज्य में वर्ष के दौरान लाभान्वित कारीगर	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय और समर्थ, वस्त्र मंत्रालय की योजनाओं से लाभान्वित हस्तशिल्प कारीगर
1	2022-2023	2,056
2	2023-2024	1,233
3	2024-2025	710
4	2025-26 (जून तक)	98

(घ) उपरोक्त योजनाओं एवं उपगत व्यय हेतु वर्ष 2024-25 के लिए आबंटित बजट निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**योजना**	**2024-25**		**2025-26 (10.07.2025 तक)**	
		परिशोधित अनुमान	**व्यय**	**बजट अनुमान**	**व्यय**
1	राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)	175.00	170.64	199.00	57.04
2	व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)	25.00	24.59	60.00	22.84

*वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान हरियाणा राज्य में क्लस्टर आधारित कार्यक्रमों के तहत रुपये 71.46 लाख एवं वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 (30 जून 2025 तक) के दौरान रुपये 19.8 लाख का व्यय किया गया।

अनुलग्नक-I

दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिये जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 281 के उत्तर के भाग (क) में विनिर्दिष्ट विवरण

30 जून, 2025 तक हरियाणा राज्य में पहचान पहल के अंतर्गत पंजीकृत कारीगरों की जिला-वार संख्या:

क्र.सं.	**जिला**	**कारीगरों की संख्या**
1.	रेवाड़ी	2,118
2.	मेवात	1,595
3.	पानीपत	3,523
4.	जींद	764
5.	हिसार	1,330
6.	सिरसा	1,094
7.	करनाल	1,799
8.	भिवानी	1,457
9.	पंचकुला	456
10.	फरीदाबाद	1,671
11.	महेंद्रगढ़	626
12.	कैथल	701
13.	अंबाला	3,560
14.	गुरुग्राम	1,669
15.	झज्जर	783
16.	सोनीपत	1,608
17.	कुरुक्षेत्र	1,311
18.	फतेहाबाद	29
19.	रोहतक	586
20.	यमुना नगर	6,271
21.	चंडीगढ़	478
22.	पलवल	483
23.	चरखी दादरी	16
	कुल	**33,928**

****